SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

The 24th September, 1997

No. 1947-SW(4)-97.—In pursuance of the provisions under sub-section (1) and (2) of section 19 of the Persons with Disabilities (Equal, Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996). The Governor of Haryana is pleased to constitute the State Executive Committee consisting of the following members :—

Appointed under clause (a) of sub-section (1 and 2) (a) of section 19 :—

1.	Commissioner, Social Welfare	.. Chairman *Ex Officio*

Appointed under clause (b) of sub-section (2) (b) of section 19 :—

2.	Commissioner for Persons with Disability appointed u/s 60	.. Member *Ex Officio*

Appointed under clause (c) of sub-section (2) (c) of section 19 :—

3.	Director, Health Services, Haryana	.. Member *Ex Officio*
4.	Director, Rural Development, Haryana	.. Ditto
5.	Director, Secondary Education, Haryana	.. Ditto
6.	Director, Primary Education, Haryana	.. Ditto
7.	Director, Local Bodies, Haryana	.. Ditto
8.	Director, Employment, Haryana	.. Ditto
9.	Labour Commissioner, Haryana	.. Ditto
10.	Joint Secretary, Political and Services, Haryana	.. Ditto
11.	Joint Secretary, Finance	.. Ditto

Appointed under clause (d) of sub-section (2) (d) of section 19 :—

12.	Dr. Rajender Kalra, Hony. Secretary-cum-Director, Saket Council, Panchkula	.. Member

Appointed under clause (e) of sub-section (2) (e) of section 19 :—

13.	Mrs. Sushma Miglani, Hony. General Secretary, Haryana Welfare Society for Hearing and Speech Handicapped (Representative of Organisation working for Deaf and Dumb)	.. Member
14.	Shri S. S. Shukla, Hony. General Secretary National Handicapped Welfare Council, Haryana Unit, Karnal	.. Member (Himself a blind person)
15.	Shri Harish Tripathi, Administrator, National Association for the Blind, Haryana State Branch, Faridabad, (Representative of the Blind).	.. Member (Himself a blind person)
16.	Dr. Dharam Pal Rawal, President, Haryana State Blind Employees Association, Karnal	.. Ditto
17.	Hony. General Secretary Indian Red Cross Society, Haryana State Branch, Chandigarh	.. Ditto

Appointed under clause (f) of sub-section (2) (f) of section 19 :—

18.	Director, Social Defence and Security Department, Haryana	.. Member-Secretary (*Ex Officio*)

Functions of the State Executive Committee :

The State Executive Committee shall be the executive body of the State Coordination Committee and shall be responsible for carrying out the decisions of the State Coordination Committee.

Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the State Executive Committee shall also perform such other functions as may be delegated to it by State Coordination Committee.

The State Executive Committee shall meet at least once in three months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed by the State Government.

The State Coordination Committee shall be bound by such directions in writing as the Central Coordination Committee or the State Government may give to it.

DEEPA JAIN SINGH,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Social Welfare Department.

विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 1991-92 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य/परियोजनाएं प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिये हरियाणा राज्य में 108 विकास खण्ड स्थापित हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में पंचायत समिति गठित की हुई है। राज्य सरकार ग्रामीण विकास कार्य पंचायतों व पंचायत समितियों के माध्यम से चला रही है। पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 43 के अन्तर्गत पंचायत समितियों को ग्रामीण लोगों के लिये विकास सम्बन्धी परियोजनाएं बनाने व कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रदान की हुई हैं। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक शिक्षा, संचार वृक्षारोपण, हरिजन चौपालों के निर्माण आदि तथा महिलाओं व बच्चों की भलाई के लिये अन्य विभिन्न स्कीमें पंचायत समिति के फण्ड लोगों के अंशदान तथा सरकारी अनुदानों से चलाई जाती हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान इस विभाग द्वारा इन विकास कार्यों पर 1454.79 लाख रुपये व्यय किये गये।

2. विकास विभाग सरकार द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण विकास कार्यों विशेष रूप से फैल्टनीड प्रोग्रामों के कार्यान्वियन में अन्य सभी सम्बन्धित विभागों के तालमेल के साथ कार्य कर रहा है। खण्ड व जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जल वितरण योजना, भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिये जमीन प्रदान करने, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का उत्थान करने तथा गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिये चलाये जा रहे अन्य विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में इस विभाग का को-आर्डिनेटर के रूप में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।

3. ग्रामीणों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से गांवों में विवरणाधीन वर्ष में 904, ग्रामीण शौचालय बनाये गये तथा 2,53,874 मीटर लम्बी पक्की नालियां बनाई गईं। इसके साथ 29,14,880 वर्ग मीटर पक्की गलियां बनाई गईं। 33,147 धुआं रहित चुल्हे बनाये गए तथा 66 गोबर गैस/बायो गैस संयन्त्र स्थापित किए गये। पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर 480 हैण्डपम्प लगाये गये।

4. संचार के क्षेत्र में 75 किलोमीटर कच्ची सड़कें तथा 1,549 पुलियां बनाई गईं। इसके अतिरिक्त 13,676 किलोमीटर पहले से बनाई गई सड़कों का सुधार किया गया और 472 पुलियों की मुरम्मत करवाई गई।

5. विवरणाधीन वर्ष में 20 नये महिला मण्डल स्थापित किये गये, जिससे महिला मण्डलों की कुल संख्या 6516 हो गई। इसके अतिरिक्त 55 नई बालवाड़ियां चालू की गईं, जिससे 592 बच्चे लाभान्वित हुए। वर्ष 1991-92 के दौरान 753 सिलाई केन्द्र कार्य कर रहे थे, जिनमें 11,323 स्त्रियों ने सिलाई में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

6. सिंचाई तथा भूमि उद्धार के क्षेत्र में, 1,083 हैक्टेयर क्षेत्र पर 4,23,641 वृक्ष लगाये गये।

7. आयकर छूट स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में उद्योगपतियों एवं व्यक्तिगत आयकर दाताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिये उनसे सम्पर्क स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त चालू परियोजनाओं को एक्सटैंशन प्रदान करने के कार्य किये गये।

8. वर्ष 1991-92 में राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नीलोखेड़ी द्वारा 43 प्रशिक्षण कोर्स तथा सैमीनार-कम-वर्कशाप्स आयोजित किये गये, जिनमें 1,336 सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

9. पशु मेला अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत विवरणाधीन वर्ष में राज्य में भिन्न-2 निर्धारित स्थानों पर पशु मेलों का आयोजन किया गया, जिनसे राज्य सरकार को 116.15 लाख रुपये की कुल आय हुई।

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 3 जून, 1997.